Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No.HQ/PIO/RTI/31/11

Dt: 01-02-12

Smt. Vimla Devi
W/O Late Sh. Raj Bhadur Mishra,
R/O Kandhesi Pachar,
Bharthana, Etawa
U.P- 206 242

विषय: सूचना अधिनियम 2008, के तहत सूचना |

....

सन्दर्भ : आपका अभ्यावेदन दिनांक 22-12-2011, प्राप्त दिनांक 29-12-2011|

उपरोक्त सन्दर्भ में यह सूचित करना है कि **ग्राम कंधेसीपचार तह0 भरथना जिला इटावा गाटा सं0 528** का **प्रथम अधिसूचना 20ए गजट नोटिफिकेशन दिनांक** 07.11.2008 **में रकबा** 0.2550 **हे0** घोषित किया गया था परन्तु अभिनिर्णय घोषित दिनांक 08.02.2010 में **रकबा** 0.2460 **हे0** एंव द्वितीय **अभिनिर्णय घोषित दिनांक** (05.09.2011) में 0.1650 **हे0 कुल** 0.4110 हे0 रकबा अर्जित किया गया है आपके द्वारा मांगी गई जानकारी के मद्‌वार जवाब निम्नानुसार हैं–

1. अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध मे प्रतिकर की राशि प्रदान करने हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु नोटिस दिनांक 11.10.2011 को कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा भेजा गया था परन्तु आपके उपलब्ध न होने के कारण वहां पर पास मे रहने वाले ग्राम के निवासी श्री ओम प्रकाश को उपलब्ध कराया गया था। नोटिस की हुई छायाप्रति आपकी जानकारी हेतु साथ मे संलग्न है। इस छायाप्रति मे अनुरोध किये गये प्रपत्र 1 से 6 को आप किसी भी कार्यदिवस मे कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबंधक, 117/एच–2/180 ब्लॉक, पाण्डु नगर, कानपुर मे जमा कर सकते हैं। ताकि आपके प्रतिकर की राशि का शीघ्र भुगतान की जा सके।
2. परियोजना मे अधिग्रहीत जमीन का नजरी नक्शा जिसमे कि ल0 एवं चौ0 एवं क्षे0 अंकित है आपकी जानकारी हेतु संलग्न है।

3. प्रतिकर की दर रू0 20,00,000/- प्रति हे0 एवं इसके अतिरिक्त अर्जन की अनिवार्य प्रकृति के प्रतिफल में 60 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त मुआवजे के रूप में एवं 1500 वर्ग मी0 भूमि की सीमा तक अर्जन किये जाने पर प्रत्येक खातेदार को रू0 20,000/- की सहायता राशि अतिरिक्त अनुदान के रूप में भी प्रदान की जायेगी। 1500 वर्ग मी0 से अधिक अर्जित क्षेत्रफल के लिये 15रू0 प्रति वर्ग मी0 की दर से अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जायेगी एवं अन्य लाभ रेल मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा घोषित मौलिक पात्रता के आधार पर दिये जायेंगे।

4. अन्य लाभ राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना के तहत रेल मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा घोषित मौलिक पात्रता के आधार पर दिये जायेंगे।

1/2/12

(राजीव भटनागर)
उप महाप्रबंधक एवं जन सूचना अधिकारी

Copy to: CPM/Kanpur

C/- APIO/DFCC/MUMBAI in reference to letter No MUM/HR/RTI (Correspondence dt 23.1.12 for inf pl.

प्रेषण
DISPATCH
2/02/12